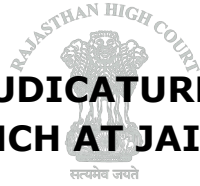


**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 16164/2025

Jiley Singh S/o Omprakash, R/o Patan Mewan, Thana Khairthal, District Khairthal-Tijara, At Present Tatala Bypass Road, Khairthal, Thana Khairthal, District Khairthal - Tijara. (Presently In J.c. In Sub Jail, Kishangarh Bas).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 16221/2025

Vykateshwar Prasad S/o Niranjana Kumar, R/o Anand Nagar Colony, Khairthal, Police Station Khairthal, District Khairthal, Tijara, Raj. (Presently Confined In Sub Jail Kishangarh-Bas At Khairthal, Tijara).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	श्री अश्विन गर्ग श्री रवि जांगिड़ मि. संगीता वशिष्ठ
For Respondent(s)	:	श्री अमित गुप्ता, लोक अभियोजक श्री देशराज सेन मि. जया सिंह, एडीशनल एस.पी., खैरथल, तिजारा श्री करण सिंह ए.एस.आई. थाना खैरथल

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

10-12-2025

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक— **28.11.2025 व 28.10.2025** के विरुद्ध ये पृथक पृथक जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. उन्हें **पुलिस थाना खैरथल, जिला खैरथल—तिजारा** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **313/2025** अपराध अन्तर्गत धारा **112(2), 314, 316(5), 318(4), 61(2)** बी.एन.एस. व धारा **3,4,5** इनामी चिट फण्ड और धन परिचालन स्कीम(पाबंदी) अधिनियम 1978, धारा **3/21, 5223, 6,25** अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 में नियमित जमानत प्रदान किये जाने के संबंध में प्रस्तुत किए गए हैं ।

एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित होने के कारण दोनों जमानत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

बहस सुनी गई ।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण का तर्क है कि प्रार्थीगण को मामले में झूठा फंसाया गया है, वे दिनांक 16.10.2025 से अभिरक्षा में हैं, सह अभियुक्त जयपाल का जमानत आवेदन पत्र इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है, प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना है, अतः प्रार्थीगण को जमानत पर छोड़ा जावे ।

विद्वान लोक अभियोजक व योग्य अधिवक्ता परिवादी ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया । उनका निवेदन है कि जनता द्वारा जमा कराया गया पैसा अभियुक्तगण ने वापस नहीं लौटाया है, अपराध की प्रकृति गंभीर है, अतः जमानत आवेदन पत्र निरस्त किए जावें ।

हमने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों व वितर्कों पर मनन किया । सह अभियुक्त जयपाल को जमानत का लाभ दिया जा चुका है । अतः प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति, अनुसंधान के दौरान आयी साक्ष्य, प्रार्थीगण की अभिरक्षा अवधि, अन्वीक्षा में लगने वाले समय व अन्य परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई अंतिम राय व्यक्त किए बिना प्रार्थीगण को जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

परिणामतः ये दोनों जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाते हैं तथा आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/—रुपए (अक्षरे रूपये पचास हजार मात्र) का व्यक्तिगत

बंधपत्र व 25,000—25,000 /— रूपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह प्रकरण के विचारण के दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होता रहेगा तो प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. जिले सिंह पुत्र औमप्रकाश एवं 2. वेंकटेश्वर प्रसाद पुत्र निरंजन कुमार** को (यदि वह अन्य किसी प्रकरण में वांछित न हों तो) अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J